न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. –. 2025/248
मुकदमा नम्बर 73/2025 — दर्ज दिनांक–19.05.2025

सुरेश कुमार पुत्र धुडमल जाति मेघवाल निवासी ग्राम खिरोड, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
बनाम
भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : – श्री महेश कुमार वर्मा
अनावेदक :– पैरो. राज.

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 01.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित नई खाता सं. 239 पुराना 194 की भूमि खसरा नं. 1296 रकबा 0.40 है0, खसरा नं. 1975 रकबा 0.06 है0, खसरा 1993 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 1994 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 है0 जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 8.05.2025 के अनुसार तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार पत्थरगढी कायम की जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर/एतराज व्यक्त नही किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 08.05.2025 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियें द्वारा तैयार की गई,जिस पर किसी प्रकार का संदेह नही किया जा सकता है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित नई खाता सं. 239 पुराना 194 की भूमि खसरा नं. 1296 रकबा 0.40 है0, खसरा नं. 1975 रकबा 0.06 है0, खसरा 1993 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 1994 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 है0 जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 8.05.2025 के अनुसार तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार सीमावर्ति खातेदारो की मौजूदगी में पत्थरगढी कायम कर दी जावे।

यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 01/07/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू